डायरी नं० 1518
दिनांक 27 जी
07/07/2022

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/91/2021/एफ.सी./1315 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली से सुरखाल पाठक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.100 है0 वन भूमि के बदले दोगुनी 6.200 है0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली से सुरखाल पाठक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.100 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गानुरा पट्टी चौरपाल तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–97 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 627 रकवा 2.263 है0, 787 रकवा 1.434 है0, 795 रकवा 1.740 है0, 796 मध्ये रकवा 0.763 है0 कुल 04 खेतों की 6.200 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून, 29, 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1863/सात– 58/2021–22 दिनांक जून 30, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली से सुरखाल पाठक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.1 हे0 वन भूमि वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गानुरा पट्टी चौरपाल, तहसील गंगोलीहाट के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–97 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 627 रकवा 2.263 हे0, 787 रकवा 1.434 हे0, 795 रकवा 1.74 हे0, 796 मध्ये रकवा 0.763 हे0, कुल 04 खेतों की 6.20 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1853/सात–58/2021–22 दिनांक 30.06.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

Treasury-Berinag(3801)

DDO-Executive Engineer TD PWDBerinag(4229)

आवंटन पत्र संख्या - 37 /25budget(NPV)2022-23
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-H22070220043
आवंटन पत्र दिनांक-05-JUL-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	04-एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
54-भूमि क्रय	0	5210492	0	5210492
योग	0	5210492	0	5210492

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.52,10,492 (Rupees Fifty Two Lacs Ten Thousand Four Hundred Ninety Two Only)

Batch ID : DIS:4227:4227:2207:0046

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
कार्यालय प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)
लो॰ नि॰ वि॰, देहरादून
5.7.2022

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि के एवज में प्रमुख अभियन्ता लो० नि० वि० देहरादून के प० 37/25 बजट (N.P.V. भुगतान)/2022-23 दिनांक 5-7-22 से धनराशि रू० 5210492= का आवंटन प्राप्त है। धनराशि रुपये 5210492= का आकस्मिक देयक उपकोषागार बेरीनाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाने हेतु प्रेषित है। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट से बैंक के माध्यम से R.T.G.S. चालान से वन विभाग के पक्ष में धनराशि रू० 5210492.00 जमा किया जाना है।

27/07/22

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

27/07/22

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक / 27सी दिनांक / /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.10 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/91/2021/एफ0सी0/1315 दि 30.12.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.2हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम गानुरा खसरा संख्या 627,787,995,796में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारकि हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	मान्य है।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कायालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान कीं जायेंगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1853/सात–58/2021–22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 6.200 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
	(ड़)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment	मान्य है।

	Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-I approval,as the case may be.	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधकिरण द्वारा अग्रमि रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम सेदिनांक26.08.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.385 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम सेदिनांक26.08.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 244 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षति क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं	मान्य है।

	बदला जाएगा।	
	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर काय्रवाई होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शतें लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण्‍ स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

भवदीय

29/08/22

(इं0 पी0सी0पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

O/C

पत्रांक 1332 / 27सी
दिनांक 29 /08 /2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

29/08/22

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

O/C

29/8/22

Head of Account Ch. To / A.E. madak nali Surkhal Pathak m/R. Passed for Rs-5210492=

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

सहायक अभियन्ता अ० ख० लो० नि० वि० बेरीनाग

Cash-book Voucher No. .... dated ....

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (5210492= .... to C.A.M.P.A

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the E.E. Ty. DIV in charge of P.W.D. Berinag

Sub-Division A.E. .... Division the sum of the

Rs. (Fifty Two Lakh Ten thousand Four hundred ninety Two only

Name of work or purpose for which is made C.A.& N.P.V. Payment vide letter no 37/25 Budjet (N.P.V. Payment)/2022-23 dated 5/7/2022 अनु० स० 22 लो०नि० 5054

(Amount in Vernacular)

Date....................

Witness....................

Signature of Payees

C/S For Rs-5210492=

20/07/22

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Head of Account Ch. To / A.E. madak nali Surkhal Pathak m/R. Passed for Rs-5210492=

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

सहायक अभियन्ता अ० ख० लो० नि० वि० बेरीनाग

Cash-book Voucher No. .... dated ....

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (5210492= .... to C.A.M.P.A

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the E.E. Ty. DIV in charge of P.W.D. Berinag

Sub-Division A.E. .... Division the sum of the

Rs. (Fifty Two Lakh Ten thousand Four hundred ninety Two only

Name of work or purpose for which is made C.A.& N.P.V. Payment vide letter no 37/25 Budjet (N.P.V. Payment)/2022-23 dated 5/7/2022 अनु० स० 22 लो०नि० 5054

(Amount in Vernacular)

Date....................

Witness....................

Signature of Payees

C/S For Rs 5210492=00

20/07/22

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

शाखा प्रबन्धक
भा० स्टेट बैंक बेरीनाग

कृपया धनराशि रु० 5210492=00 का संलग्न चालान के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करने का कष्ट करें,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

भारतीय स्टेट बैंक
जारी करने वाली शाखा State Bank of India
Issuing Branch:BERINAG
कोड़ क्र /CODE No: 02523
Tel No. 05964-244630

A/C Payee

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: RUHKIQ
Sr. No: 117396

2 9 0 7 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

PAY Executive Engineer TD PWD Ber inag****************************** को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Fifty Two Lakh Ten Thousand Four Hundred and Ninety Two Only

अदा करें ₹ 5210492.00

IOI 000446809376
Name of Applicant

Key: RUHKIQ Sr. No: 117396 AMOUNT BELOW 5210493(0/7)
STATE GOVT. GENERAL ACCOUNT (R .

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

"809376" 000002000: 000446" 16

मनीष सिंह
Manish Singh
S-25938

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)

फोन नं0 – 05964–244117 फैक्स नं0 –05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1306 /क्षे21 दिनांक 26/08/2022

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक
बेरीनाग।

विषय : बैंकर्स चैक संख्या 809376 दिनांक 29–7–2022 धनराशि रूपये 5210492.00 के बिरूद्ध संलग्न चालान के माध्यम से आंनलाईन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक क्रम में बैंकर्स चैक संख्या 809376 दिनांक 29–7–2022 धनराशि रूपये 5210492.00 आपको इस आशय से प्रेषित कि किया जा रहा है कि धनराशि रूपये 5210492.00(रूपये बावन लाख दस हजार चार सौ बयानबे) **NEFT/ RTGS CHALLAN For CAMPA Funds** में संलग्न चालान के अनुसार भुगतान करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार चालान 2 प्रति में

26/08/22

(इं0 पी0सी0पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग

26/08/22

O/C

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-08-2022

Agency Name.	**EE TY DIV PWD BERINAG**
Application No.	**61143612951**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/91/2021/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**PWD BerinagPithoragarh**
Amount(in Rs)	**5210492/-**

Amount in Words :Fifty-Two Lakh Ten Thousand Four Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1508961143612951** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-08-2022

Agency Name.	**EE TY DIV PWD BERINAG**
Application No.	**61143612951**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/91/2021/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**PWD Berinag Pithoragarh**
Amount(in Rs)	**5210492/-**

Amount in Words :Fifty-Two Lakh Ten Thousand Four Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1508961143612951** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com**

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु चयनित सी०ए० क्षेत्र ग्राम गानुरा पट्टी चौरपाल, तहसील गंगोलीहाट में पूर्व में किसी अन्य परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग